रविवार को सदन की बैठक एक नजीर

आलेख : अजय बोकिल

मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा मानसून सत्र में राज्य विधानसभा की कार्यवाही शनिवार और रविवार को भी जारी रखना, इस मायने में ऐतिहासिक है कि सामान्य तौर पर पहले ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। कुछ विशेष सत्रों अथवा बजट सत्र के दौरान अपवाद स्वरूप शनिवार को सदन में काम हुआ है, लेकिन रविवार की छुट्टी तो रहती ही आई है। परंपरा के अनुसार अमूमन विधानसभा में शनिवार और रविवार को अवकाश होता है। इसका पहला कारण तो सरकारी दफ्तरों की छुट्टी होना और दूसरा विधायकों का अपने क्षेत्र के दौरे पर जाना। लेकिन पहली बार इस रिवायत तो तोड़ा गया है। इस आधार पर तोड़ा गया है कि लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में छुट्टियों की मानसिकता को हतोत्साहित कर कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। यही कारण है कि इस दफा शनिवार और रविवार को विधायिका ने रात लगभग ११ बजे तक सदन में बैठकर जरूरी विधायी कार्य निपटाए। विधायिका की यह पहल - कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है।

वैसे विधानसभा के सत्र कब हों, इसके बारे में तो संविधान में स्पष्ट निर्देश हैं, लेकिन कोई सत्र कितने दिन का हो - यह खुद विधानसभा ही तय करती है। संविधान के अध्याय 3 की धारा 174 में स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधान मंडलों का अधिवेशन आहूत करेंगे, लेकिन उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह माह का अंतर नहीं रहेगा। अर्थात इसमें सत्र कितने दिनों का होगा, किन-किन दिनों में बैठक होगी, यह विधान मंडल की कार्य मंत्रणा समिति के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

मप्र में भी शुरू से विधानसभा के तीन सत्र होते रहे हैं। इनमें भी बजट सत्र सबसे लंबा होता आया है। विधानसभा की ज्यादा से ज्यादा बैठकें आहूत करने प्रबल आग्रह सबसे पहले तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने शुरू किया था। उनकी मांग थी कि विधानसभा की साल में कम से कम 75 बैठकें हों। यह बात अलग है कि सत्ता में आने के बाद खुद उन्होंने ही इसे दरकिनार कर दिया। लेकिन बाद में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में इस मांग को अमली जामा पहनाया गया।

यहां सवाल यह है कि क्या विधानसभा की बैठकें ज्यादा आहूत करना महत्वपूर्ण है या कम बैठकों में ज्यादा काम करना अहम है? यह बात इसलिए भी मायने रखती है कि विधानसभा का हर सत्र काफी खचीर्ला होता है। पिछले दिनों एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि मप्र विधानसभा की कार्यवाही के संचालन पर प्रति मिनट औसतन 66 हजार रू. खर्च आता है। अगर बैठकें कम होंगी तो यह खर्च भी घटेगा। अर्थात सत्र छोटे हों और सदन में काम ज्यादा हो तो राज्य की आर्थिक सेहत के लिए भी यह मुफीद है।

दूसरा अहम मुद्दा कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने का है। वैसे भी भारत देश ज्यादा छुट्टियों के लिए जाना जाता है। कार्यपालिका में तो कैलेंडर के मुताबिक साल का पांचवा हिस्सा तो छुट्टियां का ही होता है। उसी तर्ज पर न्यायपालिका में भी गर्मियों की लगभग पौने दो महीने की छुट्टियां होती है। यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। जिसे हाल के वर्षों में कुछ तोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों ने गर्मियों की छुट्टियों में भी गंभीर मामलों की सुनवाई शुरू की है।

अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि सत्र के दौरान अवकाश के दिन भी सदन में आएं तो इसे कार्य संस्कृति के प्रति सकारात्मक सोच के आईने में देखा जाना चाहिए। सत्र के दौरान जनप्रतिनिधि शनिवार-रविवार को अक्सर अपने क्षेत्र में जाते हैं। इसकी वजह लोगों से मेल-जोल है। लेकिन इसे सत्र चलने तक स्थगित भी किया सकता है। यदि सत्र छोटा होगा तो अपने क्षेत्र के दौरे को फिर से नियोजित कर सकते हैं। कार्य के घंटों की कमी की पूर्ति सदन देर तक चलाकर आसानी से पूरी की जा सकती है।

हो सकता है कि शुरू में विधायकों या मंत्रियों को अपनी दिनचर्या एडजस्ट करने में कोई दिक्कत हो। लेकिन शनिवार-रविवार को काम होने से सत्र की अवधि घटेगी। बैठकों का समय बढ़ेगा, लेकिन संख्या कम होगी। इससे उस सरकारी अमले को भी राहत मिलेगी, जो - सत्र के दौरान छुट्टियों में भी काम में जुटा रहता है। यह राहत उनके लिए भी है, जो सुरक्षा के लिए सत्र के दौरान विधानसभा में विशेष ड्यूटी पर रहते हैं। सबसे बड़ा लाभ विधानसभा का खर्च घटेगा तथा प्रशासन अपने सामान्य मोड पर काम कर सकेगा। राज्य सरकार के फैसले को निर्दलीय विधायक सुरेन्द्र सिंह शेरा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की कार्यशैली करार दिया। अर्थात समय का ज्यादा और बेहतर उपयोग। अच्छा यह होगा कि इस ऐतिहासिक पहल को एक नियमित आदत में लाया जाए। ऐसा हुआ तो मप्र विधानसभा की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बन सकती है **इति(।**

(प्रस्तुतिः मनुज फीचर सर्विस)

नोट: विचार लेखक के अपने हैं, इन विचारों की जिम्मेदारी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय नहीं लेता।